

मध्य प्रदेश मंत्र-परिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

13 दसिंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में मंत्रपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश नजी वशिववदियालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन वधियक, 2022 का अनुमोदन सहति कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मध्य प्रदेश नजी वशिववदियालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन वधियक, 2022 का मंत्रपरिषद नें अनुमोदन कयि। स्कोप ग्लोबल सकलिस वशिववदियालय, भोपाल, अभ्युदय वशिववदियालय, खरगोन एवं अजीम प्रेमजी वशिववदियालय, भोपाल वशिववदियालयों की स्थापना वधियक के माध्यम से कयि जाने के संबंध में प्रस्तुत द्वितीय संशोधन वधियक, 2022 को मंत्रपरिषद द्वारा अनुमोदति कयि गया।
- रीवा हवाई पटी को वमिनतल के रूप में वकिसति करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध 64 एकड़ भूमि भारतीय वमिनपत्तन को आवंटति की जा चुकी है। इसके अतरिकित आवश्यक 615 हेक्टेयर भूमि को राज्य शासन द्वारा अर्जति कर भारतीय वमिनपत्तन प्राधकिरण को दयि जाने का अनुमोदन मंत्रपरिषद द्वारा दयि गया।
- रीवा हवाई पटी को हवाई अड्डे के रूप में वकिसति होने के उपरांत ए.टी.आर. जैसे बोइंग वमिन की लैंडिंग हो सकेगी, जसिसे रीवा कषेत्र का आर्थिके वकिस होगा एवं पर्यटन आदिको बढ़ावा मलगा, इससे आम जनता को सीधे लाभ पहुँचेगा।
- मंत्रपरिषद ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहति (द्वितीय संशोधन) वधियक, 2022 का अनुमोदन कयि तथा वधियक को वधिनसभा में पुनःस्थापति कर पारति कराने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व वभिग को अधकित कयि।
- सीमांकन के मामलों के नरिाकरण के लयि सकषम अधकिारी तहसीलदार हैं। प्रदेश में राजस्व नरिीकषकों की संख्या सीमति होने और सीमांकन के आवेदनों के त्वरति नरिाकरण के लयि मध्य प्रदेश भू-राजस्वसंहति में संशोधन प्रस्तावति है। अब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आवेदन पर राजस्व नरिीकषक/नगर सर्वेकषक के साथ-साथ कसबा पटवारी की रपौरट भी ली जा सकेगी।
- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश के वमिकृत, घुमंतु और अरदधघुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लयि मुख्यमंत्री वमिकृत, घुमंतु और अरदधघुमंतु स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 को स्वीकृत प्रदान की गई।
- वभिग के द्वारा संचालति योजना 2 भागों में संचालति होगी। वभिग एवं अभकिरण के माध्यम से व्यक्तगित प्रकरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्व-सहायता समूह होने पर 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रथम बार लयि गए ऋण 25 प्रतशित या अधकितम 20 हजार रुपए (व्यक्तगित प्रकरण) एवं 2 लाख रुपए (स्व-सहायता समूह) अनुदान। ब्याज दर पर 6 प्रतशित अनुदान।
- अभकिरण द्वारा संचालति योजना में आई.टी.आई. द्वारा प्रशकिषति नवयुवकों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम ऋण एवं अभकिरण के माध्यम से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अधकितम 2 लाख रुपए के व्यक्तगित में प्रकरण स्वीकृत कयि जाएंगे। प्रथम बार लयि गए ऋण पर परयोजना लागत का 25 प्रतशित एवं द्वितीय ऋण पर 20 प्रतशित अनुदान। प्रथम एवं द्वितीय ऋण पर ब्याज पद पर 6 प्रतशित अनुदान।
- मंत्र-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश नरिसन वधियक, 2022 की अनुसूची में उललेखति 5 अधनियमों का नरिसन कयि गया है। इसके माध्यम से नमिन 5 अधनियमों को नरिसति कयि जाना है, जो पूरी तरह से अपरचलति, अनावश्यक और महत्त्वहीन हो चुके हैं।
- मध्य प्रदेश बोर्सटल एक्ट 1928, मध्य भारत लघुवाद न्यायालय अधनियम 1949, मध्य प्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधनियम 1958, मध्य प्रदेश अश्व रोग अधनियम 1960, मध्य प्रदेश पशु (नरियंत्रण) अधनियम 1976।
- मंत्र-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य में सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वजिापन का प्रतषिध और व्यापार तथा वाणजिय, उत्पादन प्रदाय और वतिरण का वनियमन) अधनियम, 2003 का राज्य संशोधन वधियक 2022 का अनुमोदन कयि गया तथा वधिनसभा में पुनः स्थापति करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया की पूर्व मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषति करने की अनुमति प्रदान की गई।

